

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 945/2018/जोधपुर.

मैसर्स अरिहन्त प्लाईवुड,
614, जैन दादाबाड़ी के सामने, सरदारपुरा, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जोधपुर
2. सहायक आयुक्त, वृत्त-डी, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 946/2018/जोधपुर.

मैसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स,
163, सुगन विहार, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जोधपुर
2. सहायक आयुक्त, वृत्त-डी, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर. आर. सिंघवी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 0012 व 0013/आरवेट/जेयूडी/18-19 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 18.07.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-डी, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2014-15 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24(4) के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 22.03.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को इस आधार पर अस्वीकार किया है कि व्यवहारीगण द्वारा अस्वीकृत आई.टी.सी. के विरुद्ध बिना कोई राशि जमा कराये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, जो कि वेट अधिनियम की धारा 82 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

2. इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान निहित होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

3. हस्तगत प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें गुणावगुण पर निस्तारित नहीं करते हुए केवल इस आधार पर खारिज की गयी हैं कि व्यवहारी द्वारा अस्वीकृत आई.टी.सी. के सम्बन्ध में अपील प्रस्तुत करने के साथ वेट अधिनियम की धारा 82 के तहत बाध्यकारी रूप से जमा करवाई जाने वाली राशि जमा नहीं करवाई गई है। अपीलार्थीगण द्वारा अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली हेतु स्थगन प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके सम्बन्ध में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, साथ ही प्रकरण के तकनीकी बिन्दु पर भी बहस सुनी गयी, अतः स्थगन प्रार्थना-पत्र के साथ ही अपीलों का भी निस्तारण किया जा रहा है।

4. हस्तगत प्रकरणों में अन्तर्वलित बिन्दु के सम्बन्ध में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 783-792/2017/अलवर मैसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, अलवर बनाम अपीलीय प्राधिकारी, अलवर व सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्-तृतीय, अलवर निर्णय दिनांक 19.5.2017 में निर्णय पारित करते हुए यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि आई.टी.सी. को रिवर्स करने से सम्बन्धित प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 82 के तहत कोई राशि जमा करवाया जाना बाध्यकारी नहीं है क्योंकि वह आई.टी.सी. के क्लेम को विवादित कर नहीं माना गया है, उक्त निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"9. सर्वप्रथम प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के धारा 82(3) में अपील एवं स्टे प्रार्थना पत्र की ग्राह्यता के पूर्व कर राशि की दस प्रतिशत राशि की कराने की अनिवार्यता का निर्णय विधि विरुद्ध बताया है एवं दूसरी और मांग राशि की वसूली को स्थगित करने का आवेदन किया है।

10. हमारे द्वारा सर्वप्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में अंकित दस प्रतिशत राशि जमा कराने की अनिवार्यता पर विचार किया गया। अधिनियम की धारा 82(3) को उद्धरित करना समीचीन है:-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (4) of section 38, no appeal under this section shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of tax and other amounts admitted by the appellant to be due from him or of such instalment thereof as might have become payable and in case of an appeal from an *ex-parte* assessment order, five percent of, and in other cases ten percent of the remaining demand over and above the admitted tax or other amounts..




11. उक्त प्रावधान में यह स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के पूर्व वे समस्त राशियां जमा कराना आवश्यक है जो व्यवहारी द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं इसके अलावा विवादित राशि "disputed tax" की दस प्रतिशत राशि जमा करवाना भी आवश्यक होता है जो एक तरफा आदेशों में पांच प्रतिशत तक आवश्यक है। "disputed tax" अंकन धारा 82(3) के प्रावधान में दिनांक 09.03.2010 को राजस्थान वित्त अधिनियम 2010 से प्रतिस्थापित किया गया था। दिनांक 09.03.2010 से पूर्व इस प्रावधान में जमा राशि Ten percent of remaining demand over and above the admitted tax अनिवार्य थी।

12. इस तरह दिनांक 09.03.2010 को वित्त अधिनियम, 2010 के बाद अपील करने के पूर्व admitted liability के अलावा सृजित मांग में से केवल "विवादित कर राशि "(disputed tax amount)" की दस प्रतिशत राशि जमा करवाना आवश्यक किया गया है जबकि पूर्व में कर, ब्याज शास्ति या अन्य किसी तरह की मांग राशि की दस प्रतिशत राशि जमा कराने के प्रावधान थे जो 09.03.2010 के बाद केवल "disputed tax amount". तक सीमित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वैट एक्ट के पूर्व प्रचलित RST Act, 1994 में भी अपीलीय प्रावधान में सम्पूर्ण निर्धारित मांग राशि का बीस प्रतिशत राशि धारा 84(3) के तहत दिया जाना अनिवार्य था परन्तु अपीलीय अधिकारी को पूरी राशि वेव करने का भी अधिकार था।

13. उक्त विधि के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण के परीक्षण पर विदित है कि इन विवादित कर निर्धारण आदेशों में किसी कर राशि की मांग सृजित नहीं की गई बल्कि आगत कर के दावे को निरस्त किया गया है जो कि अपीलार्थी के नियमित एवं घोषित कर दायित्व के विरुद्ध समायोजन के रूप में क्लेम लिया गया था। स्पष्ट है कि ऐसे मामलों के विवाद में अपील दायर करते समय किसी राशि को जमा कराने की शर्त नहीं है जैसे कि ब्याज एवं शास्ति या अन्य तरह की मांग जो किसी व्यवहारी के विरुद्ध 'कर' की राशि से भिन्न हो उनमें किसी तरह की विवादित राशि का दस प्रतिशत जमा कराने की शर्त दिनांक 09.03.2010 से हटा दी गई है। अतः अपीलीय आदेश के दस प्रतिशत राशि जमा कराने के आदेश को अपास्त कर अपील ग्रहण के आदेश दिये जाते हैं तथा अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त प्रस्तुत अपीलों की सुनवाई तुरन्त प्रारम्भ कर दो माह में इसका निस्तारण करें।




लगातार.....4

14. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में स्थगन जारी करने के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। चूंकि अपीलीय अधिकारी ने अपील एवं स्टे प्रार्थना पत्र ग्रहण योग्य नहीं माना था अतः स्टे प्रार्थना पत्रों पर कोई सुनवाई नहीं की है अतः धारा 38(4) में स्टे प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई कर कर विधि सम्मत् आदेश पारित करने के निर्देश अपीलीय अधिकारी को दिये जाते हैं। साथ ही स्टे प्रार्थना पत्रों की सुनवाई तक कर निर्धारण अधिकारी वसूली के लिए Coercive measures का उपयोग न्यायिक दृष्टि से नहीं करें।”
5. हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों के तथ्यों के समान मामले में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिये गये ^{उक्त} निर्णय में यह स्पष्ट है कि आई.टी.सी. क्लेम को अस्वीकार करने सम्बन्धी मामलों में धारा 82(3) के तहत कोई राशि जमा करवाने की विधिक अनिवार्यता नहीं होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अपील ग्रहण नहीं करना विधिसम्मत नहीं है।
6. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें मय स्थगन कर बोर्ड की खण्डपीठ के अपील संख्या 783-792/2017/अलवर मैसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड निर्णय दिनांक 19.5.2017 से कवर्ड होने से इसके आलोक में स्वीकार की जाकर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि अपीलार्थीगण की अपीलें ग्रहण (admit) कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर विधिसम्मत आदेश पारित करें, साथ ही दोनों प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली कार्यवाही इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे।
7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारीगण की दोनों अपीलें मय स्थगन स्वीकार की जाकर प्रकरण उपरोक्तानुसार अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।
8. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य